08/7/14
RECEIVED
C P O'S O S (G)
S. E. RLY / GRC.
KOLKATA : 43

11/7/14
DRM/RI
1299

DRM/ADRA

दक्षिण पूर्व रेलवे

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा)
गार्डनरीच, कोलकाता - 43

सं. का/हिंदी/20/3/11/2/भाग-4

दिनांक 04.07.2014

समस्त विभागाध्यक्ष
दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच एवं 14 स्ट्रैण्ड रोड, कोलकाता।
मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा)
खड़गपुर, चक्रधरपुर, आद्रा एवं रांची।
मुख्य कारखाना प्रबंधक - खड़गपुर,
दक्षिण पूर्व रेलवे।

विषय: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के संबंध में।

संदर्भ: इसी विषय पर रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी-2012/ प्र.-7/7

****

उपर्युक्त विषय पर समस्त महाप्रबंधक, भारतीय रेलों के नाम परिपत्रित रेलवे बोर्ड के पत्र की प्रतिलिपि आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

The Copy of Railway Boards letter under reference addressed to the General Managers of Indian Railway's in enclosed herewith for your information and necessary action please.

संलग्न : यथोक्त।

(राजा राम प्रसाद) 4/7/14
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)

रा. अधि.
On Net.
16/07

45
13/6/14.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2012/प्र.- 7/7

नई दिल्ली, तिथि: 10.06.2014

महाप्रबंधक (राजभाषा)
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन कारखाने

निदेशक,
सभी प्रशिक्षण संस्थान.

महानिदेशक (राजभाषा)
अ.अ.मा.सं., लखनऊ.
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.

सभी अधीनस्थ
कार्यालय/उपक्रमों के प्रमुख.

विषय: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 07.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14011/01/2014-रा.भा.(नीति) की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है, जिसमें विषयगत योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक लेखन के लिए पुरस्कार राशि में 50% की वृद्धि की गई है.

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संशोधित योजना का अपने कार्यालय में व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को भी अवगत कराएं

संलग्नक: यथोक्त

(रिसाल सिंह)
उप निदेशक, राजभाषा

1346
12-06-14

D:\Bin\backup\c drive backup\My Documents\GK 2014\Misc .doc Page 26 of 28

सं-14011/01/2014-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड,नई दिल्ली- 110001

दिनांक मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब पुरस्कार राशि में 50% वृद्धि की गई है अर्थात्:

1.	प्रथम पुरस्कार	60,000/- रूपये
2.	द्वितीय पुरस्कार	45,000/- रूपये
3.	तृतीय पुरस्कार	30,000/- रूपये
4.	प्रोत्साहन पुरस्कार	15,000/- रूपये

2. यह पुरस्कार योजना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं रहेगी बल्कि बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू होगी। यह बढ़ी हुई पुरस्कार राशि वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ मानी जाएगी। उपर्युक्त संशोधनों के अलावा इसकी सभी शर्तें, जो कि इस विभाग के दिनांक 30.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा.भा.(क-2) में वर्णित है, पूर्ववत रहेंगी।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस संशोधित योजना के बारे में व्यापक रुप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें।

07.05.2014

(भोपाल सिंह)

निदेशक(नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)
2. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
5. एन.आई.सी., राजभाषा विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध कराएं।

No. 14011/01/2014-O.L (Policy)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

....

NDCC-II Bldg., 4th Floor, B Wing,
Jai Singh Road, New Delhi-110001
Dated the, 7th May, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment to Indira Gandhi Official Language Award Scheme.

......

The amount of prizes for writing original books in Hindi under Indira Gandhi Official Language Award Scheme has now been increased 50% viz:

1. Ist Prize	Rs. 60,000/-
2. IInd Prize	Rs. 45,000/-
3. IIIrd Prize	Rs. 30,000/-
4. Incentive Prize	Rs. 15,000-/

2. This Award Scheme is not restricted to the officers/employees of Central Government only, but will also apply to the persons working in Banks, Public Sector Undertakings, Financial Institutions, Universities and Educational and Training Institutes. This increased prize-amount will be deemed to be effective from the year 2014-15. Except for the above said amendments, all other conditions contained in the Office Memorandum No. II/12013/2/85-OL(A-2), dated 30.7.1986 will remain unchanged.

3 All the Ministries/Departments of Government of India are requested to give wide publicity to this revised scheme to ensure maximum participation in the scheme. This Department may be apprised of the action taken in this regard.

(Bhopal Singh)
Director/Policy

To

1. Joint Secretary (Admn) of all Ministry/Department, Government of India.
2. Director, Central Translation Bureau, Paryavaran Bhavan, Lodhi Road, New Delhi.
3. Director, Central Hindi Training Institute, Paryavaran Bhavan, Lodhi Road, New Delhi.
4. All Officers/Section of Official Language Department.
5. NIC, Department of Official Language- with a request to upload this on the Official Language web-site.